



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 28 फरवरी 2026 ई० (फाल्गुन 09, 1947 शक संवत्) [संख्या 09

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	87—98	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	123—132	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	5—20	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	545-581	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	1—2	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

03 जनवरी, 2024 ई0

सं0 R-16/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री गुलाब चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उन्नाव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री गुलाब चन्द्र की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R-17/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री दीपक कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बलिया को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दीपक कुमार सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

23 जनवरी, 2024 ई0

सं0 R-103/38-1-2024-3503/2024-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित श्री रितिक श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मौलिक पद पर वेतन बैंड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 5,400/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/-) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या-आर-767/38-1-2023-3503/2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत किये गये थे।

2- सिविल सेवा परीक्षा-2022 (UPSC&CSE) में Indian Railway Management Service (I.R.M.C.) में चयन होने के फलस्वरूप श्री रितिक श्रीवास्तव ने मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 द्वारा अपनी स्वेच्छा से Technical Resignation दिये जाने का उल्लेख किया है।

3- श्री रितिक श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी, गोण्डा द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2024 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2024 द्वारा व्यक्त की गयी अनापत्ति के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त उनका Technical Resignation इस आशय से स्वीकार किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं कि श्री रितिक श्रीवास्तव के कार्यमुक्त होने के पश्चात वर्तमान में इनके द्वारा

धारित खण्ड विकास अधिकारी के पद पर इनका कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा एवं उक्त पद को रिक्त मानते हुए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाली आगामी/प्रस्तावित अधियाचन में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों में शामिल किया जायेगा।

06 फरवरी, 2024 ई0

सं0 आर-3555/38-1-2023-3510/2023—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित श्री कुश मिश्रा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश मिश्रा (अनुक्रमांक-139482) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैंड-3 वेतनमान रु0 15,600—39,100/- ग्रेड पे रु0 5,400/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100—1,77,500/-) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या-आर-778/38-1-2023-3503/2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत किये गये थे।

2— श्री कुश मिश्रा के पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2023 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2022 में 182 रैंक पर चयन होने के उपरान्त श्री मिश्रा द्वारा उक्त पद पर योगदान करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी के पद से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3— तत्काल में सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 26 जुलाई, 2023 व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 द्वारा व्यक्त की गयी अनापत्ति के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री कुश मिश्रा को इस आशय से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं कि श्री कुश मिश्रा के कार्यमुक्त होने के पश्चात वर्तमान में इनके द्वारा धारित खण्ड विकास अधिकारी के पद पर इनका कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा एवं उक्त पद को रिक्त मानते हुए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले आगामी/प्रस्तावित अधियाचन में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों में शामिल किया जायेगा।

07 फरवरी, 2024 ई0

सं0 R-303/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री जे0एन0 राव, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद गोण्डा को उनसे कनिष्ठ श्री तेजवन्त सिंह की पदोन्नति की तिथि 22 अक्टूबर, 2020 से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700—2,08,700) के पद पर नोशनल (प्रकल्पित) पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2— श्री जे0एन0 राव की पदोन्नति के फलस्वरूप उनकी नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री जे0एन0 राव अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

24 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 R-854/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री विजय कुमार अस्थाना, सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विजय कुमार अस्थाना की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा०नि०अ०/पत्र/टेर०/उ०अ०-III-उ०प्र०/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

सं० R-855/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु० 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री अश्वनी कुमार सोनकर, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद प्रतापगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु० 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अश्वनी कुमार सोनकर की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा०नि०अ०/पत्र/टेर०/उ०अ०-III-उ०प्र०/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

सं० R-856/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु० 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उन्नाव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु० 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा०नि०अ०/पत्र/टेर०/उ०अ०-III-उ०प्र०/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संख्या R-857/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु० 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री अखिलेश कुमार चौबे, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बदायूँ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु० 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अखिलेश कुमार चौबे की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा०नि०अ०/पत्र/टेर०/उ०अ०-III-उ०प्र०/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

सं० R-858/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु० 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री आनन्द प्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद देवरिया को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः

रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री आनन्द प्रकाश की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा0नि0अ0/पत्र/टेर0/उ0अ0-III-उ0प्र0/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

सं0 R-859/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री अरविन्द कुमार, जिला विकास अधिकारी, जनपद हरदोई को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अरविन्द कुमार की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा0नि0अ0/पत्र/टेर0/उ0अ0-III-उ0प्र0/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

सं0 R-860/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री गोरखनाथ भट्ट, जिला विकास अधिकारी, जनपद कानपुर देहात को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री गोरखनाथ भट्ट की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा0नि0अ0/पत्र/टेर0/उ0अ0-III-उ0प्र0/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

सं0 R-861/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री आशुतोष दुबे, उपायुक्त (स्वतः रोजगार), जनपद लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री आशुतोष दुबे की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/भा0नि0अ0/पत्र/टेर0/उ0अ0-III-उ0प्र0/2024 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

14 मई, 2024 ई0

सं0 R-953/38-1-2024-01 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री कुमदेन्द्र कलाकर सिंह, परियोजना निदेशक, जनपद कानपुर नगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कुमदेन्द्र कलाकर सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

15 मई, 2024 ई0

सं0 R-954/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री ऋषिपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बिजनौर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री ऋषिपाल सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R-955/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री विपिन कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद जालौन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विपिन कुमार की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R-956/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री सरयू प्रसाद सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद श्रावस्ती को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सरयू प्रसाद सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

11 जुलाई, 2024 ई0

सं0 R-1329/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्य, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अयोध्या को

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्य की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं० R-1330/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री पवन कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद आजमगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पवन कुमार सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं० R-1331/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री दीपक यादव, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद ललितपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दीपक यादव की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं० R-1332/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री नवीन कुमार गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद भदोही को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री नवीन कुमार गुप्ता की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं० R-1333/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023—उ०प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री सुशान्त सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद लखीमपुर खीरी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुशान्त सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R-1334/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री मुनेश चन्द्र, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उन्नाव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मुनेश चन्द्र की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R-1335/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री अमित कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद आगरा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अमित कुमार की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 R-1336/38-1-2024-02 पदोन्नति/2023-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री मनीष कुमार मौर्य, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद सीतापुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मनीष कुमार मौर्य की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

नियुक्ति

16 अगस्त, 2024 ई0

सं0 R-1625/38-1-2024-3503/2023-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री सौरभ सिंह पुत्र श्री संजय सिंह (अनुक्रमांक-443009) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैंड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 5,400/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/-) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखते हुए एतद्द्वारा नियुक्त किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं।

2- सम्बन्धित अधिकारी अपनी योगदान आख्या कार्यालय, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, 10 वां तल, जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, पासपोर्ट साइज की नवीनतम 04 फोटो, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को योगदान आख्या प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4— सम्बन्धित अधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को योगदान के स्थल तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5— सम्बन्धित अधिकारी की ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।

पदोन्नति

02 जनवरी, 2025 ई0

सं0 I/840114/38-1001(002)/5/2024—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700—2,08,700) में कार्यरत श्री दुष्यन्त कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, जनपद रामपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800—2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दुष्यन्त कुमार सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 I/840115/38-1001(002)/5/2024—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700—2,08,700) में कार्यरत श्रीमती हिमाली मिश्रा, उपायुक्त, सम्बद्ध कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800—2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती हिमाली मिश्रा की नयी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

03 जनवरी, 2025 ई0

सं0 I/841829/38-1001(099)/104/2024—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100—1,77,500) में कार्यरत श्री चन्दन देव पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद प्रयागराज को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700—2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पाण्डेय की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

01 मई, 2025 ई0

सं0 I/950733/38-1001(099)/104/2024-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री मोहम्मद जाकिर, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद एटा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जाकिर की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 I/950735/38-1001(099)/104/2024-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री पीयूष कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद लखीमपुर खीरी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 I/950738/38-1001(099)/104/2024-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री यशोवर्धन सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद सिद्धार्थनगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 I/950742/38-1001(099)/104/2024-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री आलोक कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद आजमगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सिंह की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

सं0 I/950742/38-1001(099)/104/2024-उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री राहुल वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अलीगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय), पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री वर्मा की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

कार्यालय-ज्ञाप

सं0 I/950837/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश कुमार झा, तत्कालीन उपायुक्त (श्रम रोजगार), जनपद वाराणसी सम्प्रति नवपदोन्नत को संयुक्त विकास आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री झा अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 I/950839/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय कुमार पाण्डेय, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, जनपद-सुल्तानपुर सम्प्रति नवपदोन्नत को कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2— श्री पाण्डेय अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 I/950845/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, तत्कालीन उपायुक्त (स्वतः मनरेगा), जनपद-कुशीनगर सम्प्रति नवपदोन्नत को कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2— श्री मिश्रा अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 I/950847/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रवीण कुमार राय, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, जनपद-एटा सम्प्रति नवपदोन्नत को कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2— श्री राय अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 I/950850/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री बाल गोविन्द शुक्ल, तत्कालीन उपायुक्त (स्वतः मनरेगा), जनपद-शाहजहाँपुर सम्प्रति नवपदोन्नत को कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2— श्री शुक्ल अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 I/950852/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री संजय कुमार पाण्डेय, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, जनपद-उन्नाव सम्प्रति नवपदोन्नत को कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2— श्री पाण्डेय अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं० I/950853/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री रवि शंकर राय, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, जनपद देवरिया सम्प्रति नवपदोन्नत को संयुक्त विकास आयुक्त, आयोध्या मण्डल, अयोध्या के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री राय अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं० I/950854/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रदीप नारायण दीक्षित, तत्कालीन परियोजन निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद कानपुर नगर सम्प्रति नवपदोन्नत को संयुक्त विकास आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री दीक्षित अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं० I/950857/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री मत्स्यनाथ त्रिवेदी, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी जनपद मुजफ्फर नगर सम्प्रति नवपदोन्नत को संयुक्त विकास आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— श्री त्रिवेदी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सं० I/950858/38-1001(010)/18/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री जगदीश त्रिपाठी, तत्कालीन परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद-कुशीनगर सम्प्रति नवपदोन्नत को कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2— श्री त्रिपाठी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 फरवरी, 2026 ई० (फाल्गुन 09, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

आगरा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

18 जनवरी, 2024 ई०

सं० 35/FR-34/डी०एल०आर०सी०- उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार तहसील-फतेहाबाद के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज अई में "खेल के मैदान" हेतु उत्तर प्रदेश, शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर खेल के मैदान का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा—

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	अई	986अमि	0.0180	बंजर	माध्यमिक शिक्षा विभाग के
					986बमि	0.1186	"	नाम राजकीय इंटर कॉलेज
								अई में खेल के मैदान हेतु।
योग . 0.1366								

25 जनवरी, 2024 ई0

सं० 48/डी0एल0आर0सी0— उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि “निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल” की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर अस्थाई निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा—

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	गुबरारी	303ख	0.3340	नवीन परती	पशु पालन विभाग के नाम
2	"	"	"	"	412	0.7860 में से 0.1310	"	अस्थाई निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना हेतु

31 जनवरी, 2024 ई0

सं0 56/डी0एल0आर0सी0— उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि “निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल” की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर अस्थाई निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	बिलौनी	330	हेक्टेयर 1.1060	5-3-क बंजर	पशु पालन विभाग के नाम अस्थाई निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना हेतु।

09 फरवरी, 2024 ई0

सं0 68/डी0एल0आर0सी0— उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि “निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल” की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर अस्थाई निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	थाना शंकरद्वारी	1416 मि0	हेक्टेयर 22.6520 में से 1.0000	बेहड़	पशु पालन विभाग के नाम अस्थाई निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना हेतु।

सं0 69/FR-3/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार तहसील-बाह के अन्तर्गत ग्राम-चित्राहाट में “राजकीय हाई स्कूल” के भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश, शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्गृहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर “राजकीय हाई स्कूल” के भवन का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	बाह	बाह	चित्राहाट	599	हेक्टेयर 0.7600 में से 2.000	6(2) आबादी	माध्यमिक शिक्षा विभाग के नाम राजकीय हाई स्कूल के भवन का निर्माण हेतु।

14 फरवरी, 2024 ई0

सं0 90/डी0एल0आर0सी0-उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016, अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 तथा उत्तर प्रदेश, शासन के राजस्व अनुभाग-1 से निर्गत कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) संख्या-578/एक-1-2023-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गाँव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुए “डिफेंस कॉरीडोर के निर्माण” हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0डा0 (UPEIDA) के पक्ष में निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर उक्त भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर “डिफेंस कॉरीडोर का निर्माण” नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या क्षेत्रफल		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					हेक्टेयर			
1	आगरा	सदर	सदर	विज्ञामई	115	0.0720	6-2 चकरोड	उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज एवं
2	“	“	“	“	123	0.0180	“	औद्योगिक विकास
3	“	“	“	“	125	0.0160	“	प्राधिकरण की “डिफेंस
4	“	“	“	“	130	0.0580	“	कॉरीडोर” परियोजना
5	“	“	“	“	132	0.1070	“	हेतु।
6	“	“	“	“	129	0.0230	6-1 नाली	
7	“	“	“	“	128	0.0120	6-2 आबादी	
योग .					0.3060			

11 मार्च, 2024 ई0

सं0 149/डी0एल0आर0सी0-उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी-आगरा निम्नांकित

अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि "प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Plantation)" हेतु, वन विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची-1

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	एत्मादपुर	एत्मादपुर	धरैरा	818मि	हेक्टेयर 0.8800 में से 0.3545	श्रेणी- 5(3)ड बंजर	वन विभाग को "प्रतिपूरक वनीकरण" हेतु

15 मार्च, 2024 ई0

सं0 160/डीएलआरसी-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार तहसील किरावली के ग्राम चौमाशाहपुर में 33/11 के0वी0 "विद्युत उपकेन्द्र" की स्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, किरावली, आगरा को 01/- रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर तथा मालगुजारी का 150 गुना मुवलिंग 407/- रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक किराये पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्गृहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर "विद्युत उपकेन्द्र" की स्थापना नहीं की जाती है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	किरावली	किरावली	चौमाशाह पुर	174/3 /4	0.4510 में से 0.2500 हेक्टेयर	ऊसर	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित

सं0 161/डीएलआरसी-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के अनुसार प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि “राजकीय यूनानी चिकित्सालय” की स्थापना हेतु, उ0प्र0 शासन के आयुष विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) के निर्वतन पर रखते हुए जिला क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आगरा को निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर “राजकीय यूनानी चिकित्सालय” का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

अनुसूची-1

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या क्षेत्रफल		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	शमशाबाद	157	0.0580 हेक्टेयर	नवीन परती	राजकीय यूनानी चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में

10 जून, 2024 ई0

सं0 309/डीएलआरसी-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि निराश्रित गौवंश के लिए “कान्हा गौशाला” के निर्माण/स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निर्वतन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गौवंश के लिए “कान्हा गौशाला” का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	बाह	बाह	अरनौटा	958	हेक्टेयर 1.0370 में से 0.8400	6(2) आबादी	पशु पालन विभाग के नाम निराश्रित गौवंश के लिए “कान्हा गौशाला” की स्थापना हेतु

18 जून, 2024 ई0

सं0 314/डीएलआरसी-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि निराश्रित गौवंश के लिए “कान्हा गौशाला” के निर्माण/स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गौवंश के लिए “कान्हा गौशाला” का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	किरावली	किरावली	जौताना	704मि	0.1750	6(4) ऊसर	पशु पालन विभाग के नाम निराश्रित गौवंश के लिए “कान्हा गौशाला” की स्थापना हेतु
					704	0.2540		

19 जून, 2024 ई0

सं0 317/डीएलआरसी-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा

प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि संरक्षित गौवंशों के लिए एस0एफ0सी0 पूलिंग हेतु “वृहद गौ संरक्षण केन्द्र” के निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के निर्वर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहित भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर निराश्रित गोवंश के लिए “वृहद गौ संरक्षण केन्द्र” का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त एवं निष्प्रभावी हो जायेगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	खण्डेर	1561	हेक्टेयर 1.0600	6(2) आबादी	पशु पालन विभाग के नाम “वृहद गौ संरक्षण केन्द्र” की स्थापना हेतु

23 जुलाई, 2024 ई0

सं0 405/डीएलआरसी—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनोदश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गाँव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6, 7 व 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार “विशेष रेल परियोजना मथुरा-झाँसी तृतीय रेल लाइन के निर्माण हेतु” भारतीय रेल विभाग के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
					संख्या	पुनर्ग्रहित रकबा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	सिकन्दरपुर	68	0.0192	चकमार्ग	उत्तर मध्य रेलवे के नाम
2	“	“	“	“	251	0.230	रास्ता	(मथुरा झाँसी के मध्य तृतीय रेल लाइन परियोजना हेतु)
योग .					0.0422			

सं0 406/डीएलआरसी-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनोदश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्न अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गाँव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6, 7 व 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार "विशेष रेल परियोजना मथुरा-झाँसी तृतीय रेल लाइन के निर्माण हेतु" भारतीय रेल विभाग के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ-

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की	विवरण/प्रयोजन, जिसके
					संख्या	पुनर्ग्रहित	श्रेणी	लिये भूमि पुनर्ग्रहित की
						रकबा		जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					हेक्टेयर			
1	आगरा	खेरागढ़	खेरागढ़	लहचोरा	132	0.0072	नवीन परती	उत्तर मध्य रेलवे के नाम
2	"	"	"	"	133	0.0320	नाली	(मथुरा झाँसी के मध्य
3	"	"	"	"	134	0.0400	शमशान	तृतीय रेल लाइन परियोजना हेतु)
योग .					0.0792			

भानु चन्द्र गोस्वामी,
जिलाधिकारी, आगरा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 फरवरी, 2026 ई० (फाल्गुन 09, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, चित्रकूट

खनिज परिवहन शुल्क उपविधि (2026)

16 फरवरी, 2026 ई०

सं० 4386/खनिज परि०शु०-उपविधि-2026/जि०पंचि०/2025-26-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-142 एवं 143 के साथ पठित धारा-239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, चित्रकूट द्वारा जनपद-चित्रकूट अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैंड, कोर्ससैंड, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधियाँ बनायी गयीं हैं, जो जिला पंचायत, चित्रकूट बोर्ड बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2026 के प्रस्ताव संख्या-05 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत है और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथासंशोधित) की धारा-242 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित है तथा प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। यह उपविधि आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियाँ

1-यह उपविधि, जिला पंचायत, चित्रकूट अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी,

सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक/डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2-परिभाषाएँ इन उपविधियों में—

2.1 अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवम् जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2.2 जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17(1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) से है।

2.3 ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

2.4 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) से है।

2.5 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी से है।

2.6 सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है, जिस पर होकर आने-जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो, और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उनके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।

2.7 नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिए प्रयोग से है।

2.8 पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊँट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

2.9 स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है, जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खदान (क्वैरीज), सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा नियत किया जाये।

2.10 शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिए निम्न प्रकार से है—

(i) यदि जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानि जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवम् निर्धारित शुल्क से है।

(ii) यदि जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये विकल्प में शुल्क वसूली अपने ठेकेदार द्वारा कराने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या- 6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवम् निर्धारित शुल्क से है।

2.11 खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड-समस्त खनिज पट्टे, जनपद-चित्रकूट (उ0प्र0) एवम् पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, भस्सी, एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल तथा जनपद में स्वीकृत समस्त स्टोन क्रेशर जनपद-चित्रकूट (उ0प्र0) से है।

2.12 मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय-तीन (परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा-11 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिए नियुक्त आयुक्त (कमिशनर) से है। जिसके भीतर जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।

3—यह उपविधियाँ ग्रामीण क्षेत्र के पर्वतीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वैरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यवसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद-चित्रकूट (उ0प्र0) के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों, या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट,

सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी इत्यादि को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, घोड़ागाड़ी या मानव या यन्त्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या-2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5—जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) खनिज परिवहन शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6—जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी—

क्र०सं०	परिवहन करने वाले वाहन का नाम	दर प्रति फेरी
1	पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	30/—रुपये प्रति फेरी
2	मानव चालित नाव	50/—रुपये प्रति फेरी
3	मशीन/मोटर चालित नाव	100/—रुपये प्रति फेरी
4	ट्रैक्टर ट्राली (दो चक्का ट्राली)	120/—रुपये प्रति फेरी
5	ट्रैक्टर ट्राली (चार चक्का ट्राली या अधिक)	200/—रुपये प्रति फेरी
6	ट्रक—वाहन का प्रकार	
	i मिनी ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स)	230/—रुपये प्रति फेरी
	ii ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का)	350/—रुपये प्रति फेरी
	iii ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 चक्का)	460/—रुपये प्रति फेरी
	iv ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 12 चक्का)	600/—रुपये प्रति फेरी
	v ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 14 चक्का)	750/—रुपये प्रति फेरी
	vi ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 16 चक्का)	800/—रुपये प्रति फेरी
	vii ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 18 चक्का)	850/—रुपये प्रति फेरी
	viii ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 22 चक्का या अधिक)	950/—रुपये प्रति फेरी

7—उपविधि द्वारा निर्धारित 'शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढी दरें अगले वित्तीय वर्ष/उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होंगी जिसके नीलामी में बढी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोड़ा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8—(क) यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा। जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के प्रादेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही ई-ऑक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई-ऑक्शन पोर्टल तथा जनपद के एन0आई0सी0 पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दें, जिससे कि वह नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सके।

9-ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई-नीलामीदाता(व्यक्ति/फर्म/जे0वी0) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (टी4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत् अभिलेख दिया जा सकेगा-

(क) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र(टी5)

अथवा

(ख) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के पक्ष में बैंक गारन्टी पत्र।

अथवा

(ग) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस द्वारा जारी एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के पक्ष में बन्धक हो।

10-सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में जमा करनी होगी-

(क) स्वीकृत बोली की धनराशि रू0 01 करोड़ तक होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई0एम0डी0 को समायोजित करते हुए।

(ख) स्वीकृत बोली की धनराशि रू0 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु 01 करोड़ + 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत।

(ग) स्वीकृत बोली की धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) में ठेकेदार को अनुबन्ध के समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

शेष बोली धनराशि दो बराबर किस्तों में प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। (ई0एम0डी0 समायोजित करते हुए अन्तिम किस्त के रूप में)

अन्तिम निर्धारित तिथियों तक किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियाँ जब्त हो जायेंगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) उस धनराशि को भू राजस्व की भाँति वसूल कर सकती है।

11—ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12—जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा उपलब्ध करायी गयीं मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) में वापस करना अनिवार्य होगा।

13—ठेकेदार द्वारा वसूली स्थल पर (सहज दृश्य स्थान पर) एक 8X4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14—इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15—ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों का अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट(उ0प्र0) द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16—शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद वहीं रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

17—ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलामी समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे, नीलाम समिति के सदस्य होंगे।

18—ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के एक सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को सन्दर्भित कर दिया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19—ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20—(क) गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेका किये जाने पर यदि जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) को कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के किसी आदेश/खनन/परिवहन उपविधि/शासनादेशों/शर्तनामे/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/व्हाट्सएप के माध्यम से देगा, जिस पर ई-मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर जिला पंचायत को 03 कार्यदिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी

21—वसूलीकर्ता द्वारा उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाये शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मौरंग/सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड-समस्त स्वीकृत पट्टे जनपद-चित्रकूट(उ0प्र0) एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी/भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल तथा जनपद-चित्रकूट (उ0प्र0) में स्वीकृत समस्त स्टोन क्रेशर से है। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

22—वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23—इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों तथा यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिकासैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक/पशु गाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जाँच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) के द्वारा कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

27—जिला पंचायत चित्रकूट (उ0प्र0) को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 05 प्रतिशत पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतद्र्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्ययोजना जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत, चित्रकूट (उ0प्र0) द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

दण्ड

जिला पंचायत, चित्रकूट उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथासंशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म/जे0वी0 या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ₹0 1,000/— (₹0 एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष, सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, ₹0 50 (₹0 पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

निरसन

इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी।

अजीत कुमार,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

जिला पंचायत, बांदा

खनिज परिवहन शुल्क वसूली मानक उपविधि के अनुरूप संशोधित उपविधि

दिनांक 21 फरवरी, 2026 ई0

सं0 246/एल0बी0ए0-उपविधि/2025-26-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) (ज) (ट) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत, बांदा अपने ग्रामीण क्षेत्रों (नगर निगम, नगर पालिका टाउन एरिया की सीमा को छोड़कर) में पूर्व से स्थापित एवं इस उपविधि के लागू होने के बाद खनिज परिवहन शुल्क वसूली मानक उपविधि बनायी है। यह प्रकाशन की तिथि से प्राभावी होगी।

उपविधि

1-यह उपविधि, जिला पंचायत, बांदा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक/डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2-परिभाषाएँ :- इन उपविधियों में-

2.1 अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवम् जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2.2 जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) से है।

2.3 ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

2.4 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा(उ0प्र0) से है।

2.5 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी से है।

2.6 सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है, जिस पर होकर आने-जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो, और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उनके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।

2.7 नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिए प्रयोग से है।

2.8 पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊँट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

2.9 स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है, जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खदान (क्वेरीज), सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) द्वारा नियत किया जाये।

2.10 शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिए निम्न प्रकार से है-

(i) यदि जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानि जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवम् निर्धारित शुल्क से है।

(ii) यदि जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये विकल्प में शुल्क वसूली अपने ठेकेदार द्वारा कराने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवम् निर्धारित शुल्क से है।

2.11 खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड-समस्त खनिज पट्टे, जनपद-बांदा(उ0प्र0) एवम् पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, भस्सी, एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल तथा जनपद में स्वीकृत समस्त स्टोन क्रेशर जनपद-बांदा (उ0प्र0) से है।

2.12 मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय-तीन (परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा-11 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिए नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है। जिसके भीतर जिला पंचायत, बांदा (उ०प्र०) अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।

3— यह उपविधियाँ ग्रामीण क्षेत्र के पर्वतीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यवसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4— कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद-बांदा (उ०प्र०) के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों, या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मारबल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिकासैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी इत्यादि को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, घोड़ागाड़ी या मानव या यन्त्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या-2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा(उ०प्र०) द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत, बांदा(उ०प्र०) द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5— जिला पंचायत, बांदा(उ०प्र०) खनिज परिवहन शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6— जिला पंचायत, बांदा(उ०प्र०) द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी—

क्र० सं०	परिवहन करने वाले वाहन का नाम	दर प्रति फेरी
1	पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	30/—रुपये प्रति फेरी
2	मानव चालित नाव	50/—रुपये प्रति फेरी
3	मशीन/मोटर चालित नाव	100/—रुपये प्रति फेरी
4	ट्रैक्टर ट्राली (दो चक्का ट्राली)	120/—रुपये प्रति फेरी
5	ट्रैक्टर ट्राली (चार चक्का ट्राली या अधिक)	200/—रुपये प्रति फेरी
6	ट्रक-वाहन का प्रकार	
i	मिनी ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स)	230/—रुपये प्रति फेरी
ii	ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का)	350/—रुपये प्रति फेरी
iii	ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 चक्का)	460/—रुपये प्रति फेरी
iv	ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 12 चक्का)	600/—रुपये प्रति फेरी
v	ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 14 चक्का)	750/—रुपये प्रति फेरी
vi	ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 16 चक्का)	800/—रुपये प्रति फेरी
vii	ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 18 चक्का)	850/—रुपये प्रति फेरी
viii	ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 22 चक्का या अधिक)	950/—रुपये प्रति फेरी

7— उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढी दरें अगले वित्तीय वर्ष/उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होंगी जिसके नीलामी में बढी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोडा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8— (क)—यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा। जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों के प्रादेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत, बांदा(उ0प्र0) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही ई-ऑक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई-ऑक्शन पोर्टल तथा जनपद के एन0आई0सी0 पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दें, जिससे कि वह नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सके।

9—ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई-नीलामीदाता(व्यक्ति/फर्म/जे0वी0) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (टी-4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत् अभिलेख दिया जा सकेगा—

(क) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र(टी-5)

अथवा

(ख) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत, बांदा(उ0प्र0) के पक्ष में बैंक गारन्टी पत्र।

अथवा

(ग) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस द्वारा जारी एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो जिला पंचायत, बांदा(उ0प्र0) के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो जिला पंचायत, बांदा(उ0प्र0) के पक्ष में बन्धक हो।

10—सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में जमा करनी होगी—

(क) स्वीकृत बोली की धनराशि रू0 01 करोड़ तक होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई0एम0डी0 को समायोजित करते हुए।

(ख) स्वीकृत बोली की धनराशि रू0 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु 01 करोड़ + 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत।

(ग) स्वीकृत बोली की धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) में ठेकेदार को अनुबन्ध के समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

शेष बोली धनराशि दो बराबर किस्तों में प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। (ई0एम0डी0 समायोजित करते हुए अन्तिम किस्त के रूप में) अन्तिम निर्धारित तिथियों तक किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियाँ जब्त हो जायेंगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) उस धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूल कर सकती है।

11— ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12— जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) द्वारा उपलब्ध करायी गयीं मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) में वापस करना अनिवार्य होगा।

13— ठेकेदार द्वारा वसूली स्थल पर (सहज दृश्य स्थान पर) एक 8x4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14— इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15— ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों का अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16— शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद वहीं रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत, बांदा(उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

17— ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलामी समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे, नीलाम समिति के सदस्य होंगे।

18— ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के एक सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को सन्दर्भित कर दिया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19— ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20— (क) गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेका किये जाने पर यदि जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) को कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत, बांदा(उ0प्र0) के किसी आदेश/खनन/परिवहन उपविधि/शासनादेशों/शर्तनामे/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/व्हाट्सएप के माध्यम से देगा, जिस पर ई-मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर जिला पंचायत को 03 कार्यदिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी

21— वसूलीकर्ता द्वारा उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाये शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मौरंग/सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड—समस्त स्वीकृत पट्टे जनपद—बांदा (उ0प्र0) एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी/भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल तथा जनपद—बांदा (उ0प्र0) में स्वीकृत समस्त स्टोन क्रेशर से है। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

22— वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23— इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों तथा यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिल्कासैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक/पशु गाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जाँच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) के द्वारा कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

27— जिला पंचायत बांदा (उ0प्र0) को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 05 प्रतिशत पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतद्धर्त सम्बन्धित विभाग अपनी कार्ययोजना जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत, बांदा (उ0प्र0) द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

दण्ड

जिला पंचायत, बांदा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम—1961 (यथासंशोधित) की धारा—240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म/जे0वी0 या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1,000/— (रु0 एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष, सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50 (रु0 पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

निरसन

इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी।

अजीत कुमार,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।

जिला पंचायत, महोबा

“मानक खनिज परिवहन शुल्क उपविधि (2025)”

दिनांक 17 फरवरी, 2026 ई0

सं0 237 / एल0बी0ए0-उपविधि / 2025-26—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-142 एवं 143 के साथ पठित धारा-239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, महोबा द्वारा जनपद महोबा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर-ट्रॉली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-242 (2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी है, जो कि राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियाँ

1—यह उपविधि, जिला पंचायत, महोबा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी आदि को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक/डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2— परिभाषाएं इन उपविधियों में—

2.1 अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) से है।

2.2 जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17(1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत, महोबा से है।

2.3 ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(10) में परिभाषित “ग्राम्य क्षेत्र” से है।

2.4 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, महोबा से है।

2.5 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से है।

2.6 सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जन-साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।

2.7 नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है।

2.8 पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

2.9 स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खदान (क्वेरीज), सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियत किया जाय।

2.10 शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिए निम्न प्रकार से है—

(i) यदि जिला पंचायत महोबा इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानि जिला पंचायत में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवं निर्धारित शुल्क से है।

2.11 खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड-समय खनिज पट्टे जनपद महोबा एवं पत्थर (मार्बल, ग्रोनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है।

2.12 मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय-तीन(परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा-11 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिए नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।

3—यह उपविधियां ग्रामीण क्षेत्र के प्रवर्तीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4— कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरम, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रोनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी इत्यादि को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक, डम्पर, बैल गाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मानव या यन्त्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या 2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, महोबा द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत, महोबा द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5— जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6— जिला पंचायत, महोबा द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी:—

1— पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	—	20 रु0 प्रति फेरी।
2— मानव चालित नाव	—	40 रु0 प्रति फेरी।
3— मशीन/मोटर चालित नाव	—	115 रु0 प्रति फेरी।
4— ट्रैक्टर ट्रॉली (2 चक्का ट्रॉली)	—	115 रु0 प्रति फेरी।
5— ट्रैक्टर ट्रॉली (4 चक्का ट्रॉली या अधिक)	—	150 रु0 प्रति फेरी।
6— ट्रक :- वाहन का प्रकार—		
(i) ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का तक)	—	350 रु0 प्रति फेरी।
(ii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 चक्का)	—	500 रु0 प्रति फेरी।
(iii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 12 चक्का)	—	500 रु0 प्रति फेरी।
(iv) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 14 चक्का)	—	500 रु0 प्रति फेरी।
(v) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 16 चक्का)	—	500 रु0 प्रति फेरी।
(vi) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 18 चक्का)	—	600 रु0 प्रति फेरी।
(vii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 22 चक्का या अधिक)—	—	600 रु0 प्रति फेरी।

7—उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढ़ी दरें

अगले वित्तीय वर्ष/उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होंगी, जिसके नीलामी में बढ़ी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोड़ा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8— (क) यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई-आक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा, जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों के प्रादेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही ई-आक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई-आक्शन पोर्टल पर जनपद के एनआईसी पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक पूर्ण धनराशि जमा कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें। बकायेदारों की सूची जनपद के दो सर्वाधिक प्रचलन के अखबार में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।

9— ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई-नीलामीदाता (व्यक्ति/फर्म/जे0वी) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (टी4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत् अखिलेख दिया जा सकेगा—

(क)— नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र (टी5)

अथवा

(ख)— नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत के पक्ष में बैंक गारन्टी पत्र।

अथवा

(ग)— नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस जारी एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ)— नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली की धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

10— सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किश्त के रूप में जमा की जानी है:—

(क) स्वीकृत बोली की धनराशि रू0 01 करोड़ तक होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई0एम0डी0 को समायोजित करते हुए

(ख)— स्वीकृत बोली की धनराशि रू0 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु 01 करोड़ + 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत

(ग)— स्वीकृत बोली की धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत महोबा में ठेकेदार को अनुबन्ध के समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

शेष बोली की धनराशि दो बराबर किश्तों में प्रथम किश्त 30 जून तक एवं द्वितीय किश्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। (ई0एम0डी0 समायोजित करते हुए अन्तिम किश्त के रूप में)

अन्तिम निर्धारित तिथियों तक किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियां जब्त हो जायेंगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने

वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो जिला पंचायत उस धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली कर सकती है।

11— ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12— जिला पंचायत, महोबा के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13— ठेकेदार वसूली स्थल पर (सहज दृश्य स्थान पर) एक 8x4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14— इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15— ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16— शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

17— ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे।

18— ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 1 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19— ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20— (क) गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत के किसी आदेश/खनन/परिवहन उपविधि/शासनादेशों/शर्तनामे/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/वाट्सअप के माध्यम से देगा, जिस पर ई-मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर जिला पंचायत को 03 कार्य दिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी।

21— वसूलीकर्ता द्वारा उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाये शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मौरंग/सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड—समस्त स्वीकृत खनिज पट्टे जनपद महोबा एवं पत्थर (मार्बल,

ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी/भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

22—वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23—इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैंड, कोर्स सैंड, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

24—जिला पंचायत महोबा को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य योजना जिला पंचायत महोबा को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

दण्ड

जिला पंचायत, महोबा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म/जे०वी० या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रू० 1,000/— (रू० एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रू० 50/— (रू० पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

निरसन

माडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

अजीत कुमार,
आयुक्त
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 फरवरी, 2026 ई० (फाल्गुन 09, 1947 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

09 फरवरी, 2026 ई०

सं० मा०शि०प०/परिषद्-9/1374-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 65/15-7-2026 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2026 के द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा विनियम-3 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

स्तम्भ-1

वर्तमान अध्याय-तेरह विनियम-3

स्तम्भ-2

संशोधित अध्याय-तेरह विनियम-3

हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रयोगात्मक कार्यो हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों (विज्ञान एवं गृह का आन्तरिक मूल्यांकन 05 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग के विज्ञान विषय को छोड़कर) में प्रयोगात्मक कार्यो का आधार पर किया जायेगा और ग्रेड को अंक पत्र में आन्तरिक मूल्यांकन 05 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग के आधार

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

वर्तमान अध्याय-तेरह विनियम-3

संशोधित अध्याय-तेरह विनियम-3

प्रदर्शित किया जायेगा।

पर किया जायेगा। विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय की 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जायेगी। उक्तवत् ग्रेड और अंक को प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में प्रदर्शित किया जायेगा।

भगवती सिंह,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 फरवरी, 2026 ई० (फाल्गुन 09, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पंचायत, भटनी बाजार, देवरिया

आवासी एवं आनावासी भू-खण्डों एवं सर्किल दर के अनुसार किरायेदारी

प्रबन्धन उपविधियां, 2025

29 जनवरी, 2026 ई०

संख्या-231/न०पं०भ०बा०/2024-25 नगर पंचायत भटनी बाजार, जिला देवरिया के उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा में आवासी एवं आनावासी भू-खण्डों एवं सर्किल दर के अनुसार किरायेदारी प्रबंधन हेतु उपविधि-2024 बनाई गयी है। जिसका नगर पंचायत भटनी बाजार के बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कराकर बोर्ड प्रस्ताव संख्या-10 दिनांक-28 जून, 2024 के आलोच्य में तैयार उपरोक्त उप विधि का प्रकाशन दिनांक 20 जनवरी, 2025 को गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" एवं "आज" में प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भटनी बाजार के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अन्दर अनापत्ति मांगी गई, लेकिन 15 दिन में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये। अंतिम कार्य वाही हेतु गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" एवं "आज" में

दिनांक 05 मार्च 2025 को अग्रिम कार्य वाही कर अन्तिम प्रकाशन किया जा चुका है तथा अंतिम निर्णय के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा-301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है तथा घोषित किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी—

वार्ड-वार निर्धारित मासिक किराये की सामान्य दर (प्रति वर्गफुट में)

वार्ड संख्या	वार्ड का नाम एवं संख्या	24 मीटर से अधिक मार्ग पर स्थित भवन			12 मीटर से 24 मीटर तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			03 मीटर से 12 मीटर तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			03 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			आवासीय भू-खण्ड जिसपर मकान न बने हो			
		आर0सी0/ आर0सी0 छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0/ आर0सी0 छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0/ आर0सी0 छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0/ आर0सी0 छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	24 मीटर से अधिक मार्ग पर स्थित भवन	12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	03 मीटर से 12 मीटर तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	09 मीटर तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन
1	हतवा पुराना	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
2	प्राइमरी पाठशाला टोला	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
3	रेलवे कालोनी	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
4	इन्दिरा नगर	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
5	केवड़ा	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
6	नूरीगंज	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
7	रामपुर खुरहुरिया	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
8	तिवारी टोला	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
9	हरिकिर्तनु हल्ला	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
10	ठाकुर जी कुटी	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
11	गौंधी चौक	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
12	इसरी गुलजार टोला	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10

1—सक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन—

इन उपविधियों को “नगर पंचायत भटनी बाजार आवासी एवं आनावासी भू-खण्डों एवं सर्किल दर के अनुसार किरायेदारी प्रबंधन उपविधियां, 2025” कहा जायेगा और उपविधियां नगर पंचायत भटनी बाजार क्षेत्र में तत्क्षण प्रभाव से लागू होगी।

2—परिभाषाएँ—

- “पंचायत” से अभिप्राय नगर पंचायत भटनी बाजार से है।
- “सर्किल दर” का अर्थ है वह शुल्क जो सफाई, प्रकाश, पेयजल तथा अन्य व्यवस्थाओं हेतु लिया जायेगा।
- “अनावासी” का अर्थ खाली भू-खण्डों से है।
- “आवासी” का अर्थ मकानों/दुकानों से है।

3—स्थान—

नगर पंचायत भटनी बाजार सीमान्तर्गत समस्त वार्ड ।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, भटनी बाजार,
देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत, भाटपार रानी, देवरिया

आवासी एवं आनावासी भू-खण्डों एवं सर्किल दर के अनुसार किरायेदारी

प्रबन्धन उपविधियां, 2025

05 फरवरी, 2026 ई0

संख्या-1105/न0पं0भा0रा0-उपविधि/2025-26—नगर पंचायत भाटपार रानी जिला देवरिया के उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा में आवासी एवं अनावासी भू-खण्डों एवं सर्किल दर के अनुसार किरायेदारी प्रबंधन हेतु उप विधि 2024 बनाई गयी है। जिसका नगर पंचायत भाटपार रानी के बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कराकर बोर्ड प्रस्ताव संख्या-30 दिनांक 20 जुलाई, 2024 के आलोच्य में तैयार उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन दिनांक 18 जनवरी, 2025 को गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र “अमर उजाला” एवं “आज” में प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भाटपार रानी के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अन्दर अनापत्ति मांगी गई, लेकिन 15 दिन में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये। अंतिम कार्यवाही हेतु गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र “दैनिक जागरण” एवं “हिन्दुस्तान” में दिनांक 04 मार्च 2025 को अग्रिम कार्यवाही कर अन्तिम प्रकाशन किया जा चुका है तथा अंतिम निर्णय के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा-301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है तथा घोषित किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी—

वार्डवार निर्धारित मासिक किराये की सामान्य दर (प्रति वर्गफुट में)

वार्ड सं०	वार्ड का नाम एवं संख्या	24 मी० से अधिक मार्ग पर स्थित भवन तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	12 मी० से 24 मी० तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	03 मी० से 12 मी० तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	03 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	आवासीय भू-खण्ड जिस पर मकान न बने हो											
		आर०सी० सी०/आर० सी०सी० छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर०सी० सी०/आर० सी०सी० छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर०सी० सी०/आर० सी०सी० छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर० सी०सी० /आर० सी०सी० छत सहित पक्का	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	24 मी० से अधिक मार्ग पर स्थित भवन	12 मी० से 24 मी० तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	03 मी० से 12 मी० तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन	09 मी० से अधिक मार्ग पर स्थित भवन
1	लखना उर्फ डोमडीह	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
2	हनुमानगढ़ी	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
3	जलकल कालोनी	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
4	चिकटोली	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
5	रामपुर लिटिहा	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
6	पोखरापार	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
7	आर्यचौक	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
8	सोहनपार	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
9	दुर्गा मन्दिर	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
10	शिवमंदिर	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
11	गुदरी बाजार	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10
12	मालवीय नगर	1.00	0.70	0.50	0.70	0.55	0.40	0.45	0.40	0.30	0.35	0.30	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10

1—सक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन—

इन उपविधियों को “नगर पंचायत भाटपार रानी आवासी एवं अनावासी भू-खण्डों एवं सर्किल दर के अनुसार किरायेदारी प्रबंधन उपविधियां, 2025” कहा जायेगा और उपविधियां नगर पंचायत भाटपार रानी सीमा अन्तर्गत प्रकाशन तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

2—परिभाषाएँ—

- (i) “पंचायत” से अभिप्राय नगर पंचायत भाटपार रानी से है।
- (ii) “सर्किल दर” का अर्थ है वह शुल्क जो सफाई, प्रकाश, पेयजल तथा अन्य व्यवस्थाओं हेतु लिया जायेगा।
- (iii) “अनावासी” का अर्थ खाली भू-खण्डों से है।
- (iv) “आवासी” का अर्थ मकानों/दुकानों से है।

3—स्थान—

नगर पंचायत भाटपार रानी सीमान्तर्गत समस्त वार्ड ।

प्रेमलता,
अध्यक्ष,
आदर्श नगर पंचायत, भाटपार रानी,
जिला देवरिया, उ0प्र0।

कार्यालय, नगर पंचायत, भाटपार रानी, देवरिया

नगरीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट में फीकल सलज अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु प्रबंधन उपविधियां, 2025

29 जनवरी, 2026 ई0

संख्या—748/न0पं0भा0रा0—उपविधि/2024-25 नगर पंचायत भाटपार रानी जिला—देवरिया के उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा में नगरीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट में फीकल सलज अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु प्रबंधन हेतु उपविधि 2024 बनाई गयी है। जिसका नगर पंचायत भाटपार रानी के बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कराकर बोर्ड प्रस्ताव संख्या-29 दिनांक 20 जुलाई, 2024 के आलोच्य में तैयार उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन दिनांक 23 नवम्बर, 2024 को गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र “अमर उजाला” एवं “आज” में प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भाटपार रानी के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अन्दर अनापत्ति मांगी गई, लेकिन 15 दिन में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये। अंतिम कार्यवाही हेतु गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र “अमर उजाला” एवं “हिन्दुस्तान” में दिनांक 19 जनवरी, 2026 को अग्रिम कार्यवाही कर अन्तिम प्रकाशन किया जा चुका है तथा अंतिम निर्णय के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा-301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

उपविधि**संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—**

- (1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत नगर पंचायत भाटपार रानी जनपद देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत भाटपार रानी जनपद देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषायें—

- (1) “अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत भाटपार रानी जनपद देवरिया के अध्यक्ष से है।

- (2) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत भाटपार रानी जनपद देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है।
- (3) “नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत नगर पंचायत भाटपार रानी जनपद देवरिया से है।

1—ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रू0 1,000.00 प्रति प्रकरण।
- (2) किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रू0 500 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रू0 1,000.00 प्रति पशु।
- (3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतुरखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।
- (4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 तथा वाटर प्लूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2000 रू0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।
- (5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रू0 2000 प्रति प्रकरण।
- (6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के गये हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 एक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रू0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपये) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रू0 5,000.00 से रू0 50,000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- (7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होन व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रू0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रू0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।
- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रू0 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड़ पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रू0 5,000.00 प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रू0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1000/रू0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

- (10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रू0 3,000.00 देय होगा।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियो/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़ें को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियो/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियो/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1000 रू0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियो/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़ें को चार भागों में सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डसकूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।
- (13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रू0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रू0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।
- (14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (15) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

- 1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़ें को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।
- 2— गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
- 3— सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।
- 4— परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- 5— परिसर में निकलने वाले मलबो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलबो, मिट्टी फेकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

- (16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2— फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिशेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबन्धित है।
- (2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 05.00 लिया जायेगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।
- (4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000/—रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी0—स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी—स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी0—स्लजिंग आपरेटरों स्वयं की होगी।
- (6) कार्यालय नगर पंचायत से डी—स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी—स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।
- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2—3 वर्षों के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी—स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0—1,500/— रु0 अथवा (समय—समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।
- (10) सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय—समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। अनुपालन करते हुए न पाये जाने पर नीचे प्रदर्शित अर्थदण्ड देय होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंच मार्क निम्नवत है :-

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टोयलेट आई० डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
2	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इग्जास्ट फैन द्वारा	500
4	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
8	सीट, बेसिन फर्श, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रेशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टबिन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टबिन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाएं।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाएं जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200

3— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामि/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0-2000 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।
- (4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्कों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुए जुर्माना धनराशि मु0-2,000 रुपये वसूल किया जाएगा।

4— प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।
- (2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- (3) 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित किया गया है—
- (क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।
- (ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।
- (ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रर का भी 1 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्र० सं०	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि रुपयों में
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम — 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम — 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम — 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाने पर।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठानदुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत, नगर पंचायत भाटपार रानी जनपद-देवरियाद्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत, नगर पंचायत भाटपार रानी जनपद-देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

‘यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, भाटपार रानी,
देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत, भटनी बाजार, देवरिया
नगरीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट में फीकल सलज अपशिष्ट, निर्माण एवं
विध्वंस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु
प्रबन्धन उपविधियां, 2025

05 फरवरी, 2026 ई0

संख्या-746/न0पं0भ0बा0-उपविधि-2025-26 नगर पंचायत भटनी बाजार, जनपद देवरिया के उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा में नगरीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट में फीकल सलज अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु प्रबंधन हेतु उपविधि-2024 बनाई गयी है। जिसका नगर पंचायत भटनी बाजार के बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कराकर बोर्ड प्रस्ताव संख्या-05 दिनांक 21 अगस्त, 2024 के आलोच्य में तैयार उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 को गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "स्वतंत्र जनभारती" एवं "स्वतंत्र जनमित्र" में प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भटनी बाजार के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के अन्दर अनापत्ति मांगी गई, लेकिन 15 दिन में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई। अंतिम कार्यवाही हेतु गोरखपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "गोरखपुर केसरी" एवं "दिव्य उजाला" में दिनांक 13 जनवरी, 2026 को अग्रिम कार्यवाही कर अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है तथा अंतिम निर्णय के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा-301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है तथा घोषित किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी-

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ-

- (1) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत नगर पंचायत भटनी बाजार, जनपद देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत भटनी, बाजार, जनपद-देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाये-

- (1) "अध्यक्ष", का तात्पर्य नगर पंचायत नगर पंचायत भटनी बाजार जनपद देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (2) "अधिकासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत भटनी बाजार जनपद देवरिया के अधिकासी अधिकारी से है।
- (3) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत नगर पंचायत भटनी बाजार जनपद देवरिया से है।

1-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-

- (1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।
- (2) किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।
- (3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं टेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

- (4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 तथा वाटर पलूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए रु0 2,000 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।
- (5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2000 प्रति प्रकरण।
- (6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा-15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पैंचास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- (7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।
- (8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000/-रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।
- (10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रु0 1,000 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
- (12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में-सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए

निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 500 प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

- (13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।
- (14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5,000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (15) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत् है—

- 1—परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़ों को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।
- 2—गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
- 3—सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।
- 4—परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- 5—परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- (16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्राविधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2- फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबंधन—

- (1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिशोध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।
- (2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 05.00 लिया जायेगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

- (4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000/-रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) नगर पंचायत सीमान्तगत समस्त प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत हो कर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटर की स्वयं की होगी।
- (6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) नगर पंचायत सीमान्तगत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।
- (8) नगर पंचायत सीमान्तगत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (9) नगर पंचायत सीमान्तगत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0-1500/- रु0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।
- (10) सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।
- (11) नगर पंचायत सीमान्तगत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। अनुपालन करते हुए न पाये जाने पर नीचे प्रदर्शित अर्थदण्ड देय होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- (12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंच मार्क निम्नवत है :-

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
			रूपये
1	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टोयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
2	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल० ई० डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा	500
4	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लैटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों ऑनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7	दिव्यांग हितैशी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
8	सीट, बेसिन फर्श, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावे जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाएं।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाएं जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200

3-निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन-

- (1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वाडों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।
- (3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामि/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क रु0-2,000 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।
- (4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पाकों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुए जुर्माना धनराशि मु0-2,000 रुपये वसूल किया जाएगा।

4-प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन-

- (1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।
- (2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- (3) 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित किया गया है—
 - (क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।
 - (ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।
 - (ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रर का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्र० सं०	प्रतिसिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि
		रूपयों में
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम — 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम — 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम — 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाने पर।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों में।	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत भटनी बाजार, जनपद-देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत भटनी बाजार, जनपद-देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

‘यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

विजय कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत भटनी बाजार,
देवरिया।

नगर पंचायत, बुगरासी, बुलन्दशहर

दिनांक 01 मई, 2025 ई०

सं०-02/न०प०बुगरासी/प्रकाशन-नगर पंचायत बुगरासी, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं० प्रा० अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-298(1), 298(2) की सूची 1 के शीर्षक “क” (भवन) सपठित धारा-294 के अधीन निर्मित भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धित उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या-02 दिनांक 01 जनवरी, 2025 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी, दैनिक

समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 13 मई 2025 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या-03, 04 व 05 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 13 मई, 2025 के पृष्ठ संख्या-02, 03 व 04 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्त स्थिति में सम्यक विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत बुगरासी द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या-01 दिनांक 16 जुलाई, 2025 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु 'भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रण करने सम्बन्धी उपविधियों का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद में हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा-301 (2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियाँ

- 1— (1) यह उपविधि नगर पंचायत बुगरासी, जनपद-बुलन्दशहर में "भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।
- (2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत बुगरासी नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।
- (3) यह उपविधि 01 अप्रैल, 2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।
- 2— **परिभाषायेँ**—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—
 - (1) "भवन" का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, अस्तबल, छादक (शेड) झोंपड़ी या अन्य बाड़ा या ढाचे से है, चाहें वह पक्की ईंट लकड़ी मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया गया हो, और उसके अर्न्तगत कोई बरामदा चबूतरा मकान की कुर्सी, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न ना हो की चारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अर्न्तगत कोई तम्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।
 - (2) "अधिनियम" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
 - (3) "उपविधि" का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है।
 - (4) "नक्शा नवीस/मानचित्रकार" का अभिप्राय नगर पंचायत बुगरासी के अनुज्ञा/लाईसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है।
 - (5) "व्यवसायिक निर्माण" से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो कि व्यापार, उद्योग आदि के कार्य के लिए निर्मित किया गया हो, जिनमें दुकानें, व्यापारिक गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि हैं।
 - (6) औद्योगिक निर्माण, से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि किसी वस्तु, उपकरण, आदि के निर्माण एवं एसेम्बल के लिए किया गया हो परन्तु इसमें हलवाई, रेस्टोरेन्ट आदि शामिल नहीं है।
 - (7) "जनउपयोगी सेवा के निर्माण" से तात्पर्य ऐसे निर्माण जो कि जनकल्याण हेतु किये जायें से है, जिसमें धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।
 - (8) "शासकीय सम्पत्ति" से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत बुगरासी की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल थाना व अन्य

सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन से है। परन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों की सम्पत्ति शामिल नहीं है।

- (9) "निवास गृह" से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो से है।
- (10) "अधिसूचना" से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।
- (11) "विहित अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।"
- (12) "नगर पंचायत का अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत बुगरासी के चेयरपर्सन/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी से है।"

स्पष्टीकरण—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3— विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये नक्शा/मानचित्र स्वीकृत करने के लिये शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

(1) आवासीय भवन दशा में आवासीय भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा —

(क)	50 वर्ग मीटर तक	1,000 /—रु०,
(ख)	50 से अधिक और 100 वर्गमीटर तक	2,000 /—रु०,
(ग)	100 से अधिक और 150 वर्गमीटर तक	3,500 /—रु०,
(ङ)	150 से अधिक और 200 वर्गमीटर तक	4,500 /—रु०,
(च)	200 से अधिक और 300 वर्गमीटर तक	6,000 /—रु०,
(छ)	300 वर्गमीटर तक से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर या उसके भाग के लिये	1,000 /—रु०,

(2) व्यवसायिक भवन की दशा में—व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा —

(क)	20 वर्गमीटर तक	2,000 /—रु०,
(ख)	20 वर्गमीटर से अधिक और 50 वर्गमीटर तक	4,000 /—रु०,
(ग)	प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्गमीटर या उसके भाग तक	1,000 /—रु०,

स्पष्टीकरण — संयुक्त आवासीय तथा व्यवसायिक भवन को व्यवसायिक भवन माना जायेगा।

(3) औद्योगिक भवन की दशा में—आद्योगिक भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा —

(क)	150 वर्गमीटर के लिये	8,000 /—रु०,
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए	2,000 /—रु०,

- (4) शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ उपयोग के भवन की दशा में—शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ उपयोग के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

(क) 100 वर्गमीटर के लिये 1,000 /—रु0,

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए 500 /—रु0,

- (5) केवल किसी चाहरदीवारी की दशा में—

प्रत्येक प्रकार की किसी भी चाहरदीवार (Boundary Wall) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

(क) प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए 1,000 /—रु0

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये 200 /—रु0

4— परन्तु अग्रेतर यह है, कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति निम्न

वर्णित शर्तों के साथ दी जायेगी —

- (1) भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिला भवन भूकम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किया जायेगा। (शासनादेश संख्या-1410/9-2-2001-7(12)/01 न0वि0अनु0-2, दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अनुसार),
- (2) प्रत्येक प्रकार के भवन में एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) शौचालय होना आवश्यक है।
- (3) 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये जल संचयन (Water Harvesting) प्रणाली का होना अनिवार्य होगा,
- (4) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, उनमें उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916-(2) की धारा-268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित करायेगा,
- (5) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्नि शमन (Fire Brigade) विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो उनके निर्माण की स्वीकृति से पूर्व अग्नि शमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा,
- (6) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर अर्द्धव्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है, तो वह मान्य होगी,
- (7) उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

5— प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया—

- (1) भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्धन/परिवर्तन आदि सम्बन्धित समस्त प्लान (मानचित्र) (तीन प्रतियों में) प्रार्थना-पत्र सहित अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके साथ स्वामित्व के कागजात एवं समस्त विशिष्टियों का शपथ-पत्र (नोटरी प्रमाणित) भी दिया जायेगा।
- (2) मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित सभासद व निर्माण लिपिक एवं सम्बन्धित लेखपाल (यदि आवश्यक हो) की आख्या प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् मानचित्र को अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष के द्वारा नगर पंचायत स्वास्थ्य अधिकारी और नगर पंचायत के अवर अभियन्ता के पास उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों पर जांच कर मत देने हेतु भेजा जायेगा।

(3) यदि किसी मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व के अभिलेख में कोई संशय अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को प्रतीत होता है तब उसके लिये नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय भी प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(4) नगर पंचायत के द्वारा प्लान-मानचित्र की स्वीकृति केवल तभी प्रदान की जायेगी—

(क) जब स्वास्थ्य अधिकारी और नगर पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा जाचोंपरान्त मत सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो,

(ख) भूमि के स्वत्व (title of land) की पुष्टि हो गई हो,

(ग) यदि मामले में नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई हो और राय प्रतिकूल ना हो,

(घ) नगर पंचायत को इस बात से समाधान हो गया हो कि प्रार्थी/स्वामी ने विहित विशिष्टियों के अनुसार भवन निर्माण किये जाने के लिये पर्याप्त गारण्टी दे दी है।

(4) मानचित्र स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिशासी अधिकारी की संस्तुती से नगर पंचायत चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन शर्तों के साथ पारित किया जायेगा कि यदि भवन स्वामी के द्वारा प्रचलित किसी भी नियम/उपनियम का उल्लंघन किया जाता है अथवा सम्बन्धित भूमि में सरकारी/नगर पंचायत की भूमि शामिल होती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। मानचित्र पर मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी एवं चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर होंगे जिसकी एक प्रति नगर पंचायत कार्यालय में मूल आदेश के साथ सुरक्षित रखी जायेगी तथा मानचित्र की दो प्रतियाँ एवं मानचित्र स्वीकृत करने का पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी किया जायेगा भवन स्वामी को दिया जायेगा।

6— नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 50/—रु0 प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क बाहर विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी —

(1) कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौड़ी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सड़क की लम्बाई होती है तब सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर चौड़ी होगी, तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी.

(2) कॉलोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी,

(3) कॉलोनी की सड़कें पक्की करने की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को होगी,

(4) कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को करनी होगी,

(5) कॉलोनी में 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना होगा, यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेंगी,

- (6) कॉलोनी में जलापूर्ति के लिये पाईप लाईन व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी ।
- (7) कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही को कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलोनी नगर पंचायत प्रबन्धन में हो जायेगी तथा उसके पश्चात् कॉलोनी से गृहकर/जलकर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, तथा उसके पश्चात् कॉलोनी में सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी ।
- (8) अगर व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कॉलोनी के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं करना चाहती है अथवा आर0डब्लू0ए0 बनाकर करना चाहती है तब उसके लिये उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा और नगर पंचायत की कोई जिम्मेदारी कॉलोनी के अन्दर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने अथवा निर्माण कराने की नहीं होगी । परन्तु नगर पंचायत इस उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर को लगाने की अधिकारी होगी जिसकी दर इस सम्बन्ध में निर्मित उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर का आधा होगी ।
- (9) जहाँ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नहीं हैं, वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के प्रावधान लागू होंगे ।
- (10) कॉलोनी में आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड को क्रय करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी ।

7— मानचित्र स्वीकृति की अवधि —

- (1) मानचित्र उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार केवल एक वर्ष के लिये वैध होगा, तथा उस समयावधि के अन्तर्गत भू-स्वामी को भवन का निर्माण प्रारम्भ करना होगा,
- (2) यदि भवन स्वामी उपनियम 5(1) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो अवधि समाप्त की दिनांक से तीन माह तक 100/—रु0 प्रतिमाह का शुल्क अदा करके मानचित्र को वैध करवाना होगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिये 50/—रु0 शुल्क अदा करे मानचित्र को वैध करवाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 3 वर्षों तक के लिये किया जा सकता है इसके पश्चात् पुनः नये मानचित्र की प्रक्रिया अपनायी होगी तथा पूर्व में अदा शुल्क की कोई राशि नये मानचित्र में समायोजित नहीं की जा सकेगी, और ना ही वह राशि वापिस ही की जायेगी,
- (3) निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर मानचित्र को पुनः वैध करवाये बिना निर्माण किया जाता है, तब वह निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है ।
- (4) भवन स्वामी के द्वारा किये गये उक्त अपराध को समझौता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार शमन किया जा सकता है ।
- (5) कोई भी भवन निर्माण व्यवसायिक/आवासीय भवन की दशा में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 3 वर्षों में पूर्ण कराना आवश्यक होगा ।

- (6) कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कराने की दशा में कॉलोनी में मानचित्र के अनुसार निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 5 वर्षों में किया जाना आवश्यक होगा।

8— नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र का संशोधन —

- (1) नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत किसी मानचित्र के संशोधन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित संशोधित मानचित्र के साथ मानचित्र स्वीकृति के लिये दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र के संशोधन के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व केवल इस बाबत जाँच की जानी होगी कि वह संशोधन किसी उपविधि अथवा नियम के विरुद्ध तो नहीं करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पुनः किसी अन्य ऐसी जाँच अथवा आख्या की कोई आवश्यकता मानचित्र के संशोधन के लिये नहीं होगी जो कि पूर्व में ही मूल मानचित्र के लिये प्राप्त की जा चुकी हो।
- (3) मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का $1/2$ देय होगा।

9— मानचित्र स्वीकृति के लिये विभिन्न नियम—

- (1) उ0प्र0, नगर पालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 212—क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी तक नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेंगी,
- (2) उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है, अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा,
- (3) नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत के द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नक्शानवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा,
- (4) आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निर्माण में कुल 20 प्रतिशत क्षेत्रफल आगे व पीछे की तरफ खाली छोड़ना अनिवार्य होगा,
- (5) व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी,
- (6) मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत अथवा अन्य किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार में पाया जाता है, तब मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, और उस मानचित्र के आधार पर कोई अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे।

10— मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना निर्माण करने की दशा में प्रक्रिया—

- (1) अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा,
- (2) परन्तु यदि ऐसा निर्माण अगर नियमों के अनुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाईसेन्सधारी मानचित्रकार/नक्शानवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को आवासी भवन के

लिये समझौता शुल्क रु0 3,000 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क रु0 5,000/- होगा, लेकिन किसी धार्मिक स्थल, धर्मशाला आदि निर्माणों के लिये समझौता शुल्क नगर पंचायत की टैक्स कमेटी अपने विवेक के अनुसार निर्धारित करेगी ।

(3) यदि ऐसा कोई निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित नहीं है, तब ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, और ना ही ऐसे किसी मामले में समझौता ही किया जा सकेगा, तथा ऐसे निर्माण को नगर पंचायत भवन से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी अथवा नगर पंचायत के द्वारा स्वयं हटवाया जा सकेगा, तथा ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिये जो व्यय होगा उसे भी भवन स्वामी से ही वसूल किया जा सकेगा और नगर पालिका अधिनियम के अर्न्तगत दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत चालान की कार्यवाही भी ऐसे भवन स्वामी के विरुद्ध की जा सकेगी ।

11- यदि 200 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि मानचित्र जल संचयन (water harvesting) प्रणाली लगाने का प्रावधान मानचित्र में होता है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यदि भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण में यदि मानचित्र के अनुसार जल संचयन (water harvesting) प्रणाली भवन में लगी नहीं पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क के 5 गुने के बराबर धनराशि भवन स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा ।

12- यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।

13- उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

मनोज कुमार,
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत बुगरासी,
जनपद-बुलन्दशहर ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृष्ण मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश है तथा अंग्रेजी में KRISHAN MOHAN GARG S/O OM PRAKASH है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9794 9424 4860 में मेरा नाम कृष्णा मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश अंकित हो गया है तथा अंग्रेजी में KRISHNA MOHAN GARG S/O OM PRAKASH अंकित हो गया है, जो कि स्पेलिंग फिक्सेस (Spelling-fixes) के कारण गलत है।

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृष्ण मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश (KRISHAN MOHAN GARG S/O OM PRAKASH) के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृष्ण मोहन गर्ग S/O ओम प्रकाश,
KRISHAN MOHAN GARG S/O OM PRAKASH
नि0- M.I.G.- 12, NEWADA COLONY,
(NEAR T.V. TOWER),
PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निधि पाण्डेय (Nidhi Pandey) पुत्री अशोक कुमार पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2298 2048 1716 में मेरा नाम निधि त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निधि पाण्डेय (Nidhi Pandey) पुत्री अशोक कुमार पाण्डेय पत्नी चन्द्र प्रकाश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निधि पाण्डेय पुत्री अशोक कुमार पाण्डेय,
पत्नी चन्द्र प्रकाश तिवारी,
निवासी-तहसील के सामने महुअरिया,
पोस्ट सददार मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम मंजू यादव पुत्री स्व0 ब्रम्हा यादव पत्नी गजराज यादव है जो कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड सी0जी0एच0एस0 कार्ड व बिजली बिल में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम मंजू अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गजराज यादव,
पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रसाद यादव,
निवासी- 52डी/8एम जवाहरगंज ढरहरिया,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इक्षा सिंह पुत्री धीरज कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी

पुत्री के आधार कार्ड सं0-4281 0608 2703 में उसका नाम आन्या सिंह अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इक्षा सिंह पुत्री धीरज कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

धीरज कुमार सिंह,
पुत्र श्री तालुकदार सिंह,
ग्राम सखोई पोस्ट राजेपुर जिला जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बेनबंसी सीमा कुमारी जिलेदार पुत्री जिलेदार बालदीन बेनबंसी है, जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-2314 5235 7338 में मेरा नाम सीमा कुमार अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बेनबंसी सीमा कुमारी जिलेदार पुत्री जिलेदार बालदीन बेनबंसी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बेनबंसी सीमा कुमारी जिलेदार,
पुत्री जिलेदार बालदीन बेनबंसी,
निवासी- जिलेदार ,अमवा खुर्द,
सन्त रविदास नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम KRISHIKA MISHRA पुत्री ASHISH KUMAR MISHRA है, जो कि उसके आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम SAAVI MISHRA उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम KRISHIKA MISHRA पुत्री

ASHISH KUMAR MISHRA के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

Ashish Kumar Mishra,
S/o. Rajendra Prasad Mishra,
पता— C-181B, सेक्टर C-महानगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम MITAKSHI MISHRA पुत्री ASHISH KUMAR MISHRA है, जो कि उसके आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम AAVYA MISHRA उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम MITAKSHI MISHRA पुत्री ASHISH KUMAR MISHRA के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

Ashish Kumar Mishra,
S/o. Rajendra Prasad Mishra,
पता— C-181B, सेक्टर C-महानगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम धनराजी पत्नी झल्लू है, जो मेरे परिवार रजिस्टर, मेरे खतौनी मेरे बैंक पासबुक एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी, सदर मिर्जापुर की जाँच अख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5303 0107 1901 में रीता देवी है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम धनराजी पत्नी झल्लू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

धनराजी पत्नी झल्लू,
निवासी विजयपुर, मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फूलबस्ती देवी (FULBASTI DEVI) पत्नी राज कुमार पासी (RAJ KUMAR PASI) है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में एवं निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, सर्विस बुक तथा उपजिलाधिकारी के जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या-2993 7436 4187 में मेरा नाम फूल वासी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फूलबस्ती देवी (FULBASTI DEVI) पत्नी राज कुमार पासी (RAJ KUMAR PASI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

फूलबस्ती देवी,
FULBASTI DEVI
पत्नी राजकुमार पासी,
निवासिनी वार्ड नं0-73 साड़ा बरौना,
पोस्ट आराकलां, तहसील हंडिया,
जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इबादत लोटिका (Ibadat Lotica) पुत्री रमेश कुमार है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 3697 6093 7666 में उसका नाम वत्सला कुचबधिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इबादत लोटिका (Ibadat Lotica) पुत्री रमेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रमेश कुमार पुत्र जयलाल,
नि0 ई0सी0आई0 चर्च मुंडेरा थाना धूमनगंज,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयराह जाफरी (AAIRAH JAFRI) पुत्री मोहम्मद सलाहुद्दीन है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण संख्या B-2022:9-91758-000249, आधार कार्ड सं0-5520 6671 7798 में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम आयराह जाफरी (AAIRAH JAFRI) से बदल कर रबाब जाफरी (RABAB JAFRI) रख लिया है भविष्य में मेरी पुत्री को रबाब जाफरी (RABAB JAFRI) पुत्री मोहम्मद सलाहुद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मोहम्मद सलाहुद्दीन,
पुत्र स्व0 मजीद अली जाफरी,
17 बड़ा ताजिया, जॉनसेनगंज,
इलाहाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आशी निषाद पुत्री आकाश कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4572 5581 1678 में उसका नाम जश्न अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आशी निषाद पुत्री आकाश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आकाश कुमार,
ग्रा0-गोविन्दपुर, पो0 गड़वार,
जिला-बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मेधा सिंह चौहान (MEDHA SINGH CHAUHAN) पुत्री आजाद सिंह चौहान है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4500 6826 7650 में आमि सिंह चौहान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मेधा सिंह चौहान पुत्री आजाद सिंह चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मिन्ता पत्नी आजाद सिंह चौहान,
निवासिनी- एम0बी0बी0एस0 गर्ल्स हॉस्टल,
रेसिडेन्स 906, ए-ब्लॉक, डॉ0 आर0एम0एल0
आई0एम0एस0 विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विवान गुप्ता पुत्र विकास कुमार गुप्ता है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8989 4383 7575 में उसका नाम अंश गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विवान गुप्ता पुत्र विकास कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रजनी गुप्ता, पत्नी विकास कुमार गुप्ता,
वार्ड नं0- 24, थाना कोतवाली नगर,
जनपद अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राजविक गुप्ता पुत्र विकास कुमार गुप्ता

है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6346 2895 8883 में उसका नाम अर्ष गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राजविक गुप्ता पुत्र विकास कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रजनी गुप्ता, पत्नी विकास कुमार गुप्ता,
वार्ड नं0- 24, थाना कोतवाली नगर,
जनपद अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिकेय कुमार श्रीवास्तव (KARTIKEY KUMAR SRIVASTAVA) पुत्र विवेक कुमार श्रीवास्तव (VIVEK KUMAR SRIVASTAVA) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7418 7666 3541 में उसका नाम कार्तिकेय कुमार श्रीवास्तव (KARTIKEY KUMAR SRIVASTAVA) पुत्र विवेक कुमार श्रीवास्तव (VIVEK KUMAR SRIVASTAVA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिकेय कुमार श्रीवास्तव (KARTIKEY KUMAR SRIVASTAVA) पुत्र विवेक कुमार श्रीवास्तव (VIVEK KUMAR SRIVASTAVA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अल्पना श्रीवास्तव, पत्नी विवेक कुमार श्रीवास्तव,
पता— एन14/49बी.10ए, कृष्णदेव नगर,
कालोनी सराय नंदन दशमी, छित्तपुर,
महमूरगंज वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनन्त प्रकाश पाण्डेय (ANANT

PRAKASH PANDEY) पुत्र विकास कुमार पाण्डेय (VIKAS KUMAR PANDEY) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7607 6044 1751 में उसका नाम हर्षवर्धन (HARSHVARDHAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनन्त प्रकाश पाण्डेय (ANANT PRAKASH PANDEY) पुत्र विकास कुमार पाण्डेय (VIKAS KUMAR PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विकास कुमार पाण्डेय, पुत्र चिन्तामणि पाण्डेय,
पता— ग्राम दोहरी, पोस्ट शिवपुर,
जमालपुर, जिला मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मितांश कनौजिया पुत्र दिनेश प्रसाद है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6933 6917 5967 में उसका नाम युवांश कनौजिया दर्ज है, जो गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मितांश कनौजिया पुत्र दिनेश प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

दिनेश प्रसाद, पुत्र श्री मंगल प्रसाद,
निवासी— 285/141, मिल रोड करेहटा,
ऐशबाग लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिसुमंत वर्मा पुत्र संजय कुमार वर्मा है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6397 2769 3700 में उसका नाम प्रियांशू वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिसुमंत वर्मा पुत्र संजय कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजय कुमार वर्मा, पुत्र चन्द्रभान वर्मा,
निवासी— ग्राम हसखोरी पो0 महुआवा शुकुल,
थाना-पनियरा तहसील-सदर,
जनपद महाराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांचल वर्मा पुत्र गुंजन वर्मा है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—7881 5329 8321 में उसका नाम प्रवीन वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांचल वर्मा पुत्र गुंजन वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गुंजन वर्मा पुत्र अलगु,
निवासी— ग्राम बभनौली, पो0— उस्का,
थाना भिटौली, तहसील सदर,
जनपद महाराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रिमझिम (RIMJHIM) पुत्री मोहम्माद शमीम (MOHAMMAD SHAMIM) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—2580 6963 8417 में मेरा नाम जहीन सिद्दीकी (ZAHIN SIDDIQUI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रिमझिम पुत्री मोहम्माद शमीम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रिमझिम पुत्री मोहम्माद शमीम,
निवासी— पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव श्रीवास्तव पुत्र आलोक कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—8253 4595 0058 में उसका नाम प्रत्युष साई श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव श्रीवास्तव पुत्र आलोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आलोक कुमार,
209, दोभियारा अमेठी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम माही सिंह पुत्री शिवराज सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम मेरे सर्विस रिकार्ड में उसका नाम दीप्ति सिंह (DIPTI SINGH) अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही सिंह (MAHI SINGH) पुत्री शिवराज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवराज सिंह, पुत्र राजधर सिंह,
पता— वार्ड नं0— 1 लाला का पुरवा,
शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शौर्वी यादव (SHAURVI YADAV) पुत्री शिवराम यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9435 0507 3138 में उसका नाम शौर्बी (SHAURABI)

अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शौरवी यादव (SHAURVI YADAV) पुत्री शिवराम यादव (SHIVRAM YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवराम यादव,
पता— बरेस्ता कलां,
थाना—फूलपुर, जिला—प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिया गौड (RIYA GOUD) पुत्री अजय कुमार गौड है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—6607 5162 9284 में उसका नाम गरिमा गौड़ अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिया गौड (RIYA GOUD) पुत्री अजय कुमार गौड के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजय कुमार गौड,
D-4/24 डेढमल गली दशाश्वमेध,
वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनाया ओझा (ANAYA OJHA) पुत्री अविनाश कुमार ओझा है। जो की उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—3513 0037 2701 में उसका नाम तेजस्विनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनाया ओझा (ANAYA OJHA) पुत्री अविनाश कुमार ओझा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अविनाश कुमार ओझा,
निवासी—296 रायबरेली रोड,
सेक्टर 8C वृन्दावन योजना-2 लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरी पुत्री का सही नाम (SANCHI CHAURASIYA) साँची चौरसिया पुत्री विमलेश चौरसिया है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार नं० 3416 6402 1881 में उसका नाम (SACHI CHAURASIYA) साँची चौरसिया अंकित हो गया है जोकि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम (SANCHI CHAURASIYA) साँची चौरसिया पुत्री विमलेश चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विमलेश चौरसिया
106 बलुआघाट प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अद्वैत सिंह (ADVAIT SINGH) पुत्र कुंवर विक्रम सिंह (KUNWAR VIKRAM SINGH) है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों एवं आधार कार्ड, में अंकित है तथापि स्वास्थ्य कारणों तथा ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार देवांश सिंह पुत्र कुंवर विक्रम सिंह कराना चाहता हूँ, तथा भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश सिंह पुत्र कुंवर विक्रम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुंवर विक्रम सिंह,
पुत्र सुरेन्द्र बहादुर सिंह,
नि०— ग्राम व पोस्ट कोरही,
तहसील कुण्डा, प्रतापगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयुषी दुबे (AYUSHI DUBEY) पुत्री आशीष कुमार दुबे (ASHISH KUMAR DUBEY) है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हैं, त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 3092 5630 7890 में उसका नाम मनोरमा अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम आयुषी दुबे (AYUSHI DUBEY) पुत्री आशीष कुमार दुबे (ASHISH KUMAR DUBEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सविता देवी पत्नी आशीष कुमार दुबे,
पता—बेदौली, पोस्ट हरिहरपुर बेदौली,
थाना कोतवाली देहात, तहसील सदर,
जनपद मिर्जापुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनिरुद्ध त्रिपाठी (ANIRUDDH TRIPATHI) पुत्र अंजनी कुमार त्रिपाठी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं 9286 7763 8693 में उसका नाम अनी त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनिरुद्ध त्रिपाठी (ANIRUDDH TRIPATHI) पुत्र अंजनी कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंजनी कुमार त्रिपाठी,
शुक्लन का पुरा पोस्ट, मेण्डारा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अर्चना पुत्री वंश बहादुर है जो मेरे शैक्षिक

अभिलेख में अंकित है। त्रुटि वश मेरे आधार कार्ड संख्या 7963 2539 4007 में मेरा नाम बबली अंकित हो गया है, जो मेरा घरेलू नाम है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अर्चना देवी पुत्री वंश बहादुर मौर्या पत्नी राजेश कुमार गौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अर्चना देवी पुत्री वंश बहादुर,
पत्नी राजेश कुमार मौर्या,
पता—अठरामपुर उर्फ नवाबगंज
तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम काव्या पाल पुत्री श्याम सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—9214 8312 9058 में मेरा नाम उपासना सिंह अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम काव्या पाल पुत्री श्याम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

काव्या पाल पुत्री श्याम सिंह,
ग्राम चित्ता निवादा बैरिसल,
कानपुर देहात, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका पुत्री राकेश कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 5387 1427 6248 में उसका नाम वंशिका कुमारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका पुत्री राकेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राकेश कुमार पुत्र स्व० किशोरी लाल,
पता— आनन्द बाग, सदर बाजार,
सदर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंशिका (Anshika) पुत्री जर्मन है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—2489 9556 5859 में मेरा नाम आशिका अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंशिका (Anshika) पुत्री जर्मन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंशिका पुत्री जर्मन,
निवासी—102 बाई का बाग कीडगंज,
प्रयागराज, ७०९०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आशुतोष खरे पुत्र राजीव खरे है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9810 2424 0641 में उसका नाम ईशान खरे अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आशुतोष खरे पुत्र राजीव खरे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजीव खरे,
पुत्र स्व० रघुनाथ प्रसाद खरे,
निवासी—59/2 स्टैनली रोड प्रयागराज।

NOTICE

I inform you all that My Aadhaar card Number 5144 7135 0454 is mistakenly written as GURIKA, whereas all my educational documents mention DWARIKA, which is true and correct. In future I should be known and recognized by this name DWARIKA daughter of Rampratap, resident of Anantrampur Sanayakheda, Post-Girsi, Police Station Musanagar, Tehsil -Bhognipur, Kanpur Dehat-

I, applicant certified that all the legal procedure done by myself

Dwarika D/o Rampratap,

NOTICE

I inform you all that My Aadhaar card Number 2095 6953 7846 is mistakenly written as VEERVATI, whereas all my educational documents mention VEERMATI, which is true and correct. In future I should be known and recognized by this name VEERMATI daughter of Rampratap, resident of Anantrampur Sanayakheda, Post-Girsi, Police Station Musanagar, Tehsil-Bhognipur, Kanpur Dehat-

I applicant certified that all the legal procedure done by myself.

Veermati D/o Rampratap,

NOTICE

This is to inform the general public that my correct name is SHRADDHA SHARMA, daughter of Vijay Bhan Pratap Sharma, as listed in my educational records. My Aadhaar card Number 6819 1516 0109 has mistakenly been listed as KM. SHRADDHA SHARMA, which is incorrect. In the future, I will be known and

recognized by my correct name, SHRADDHA SHARMA, daughter of Vijay Bhan Pratap Sharma. I hereby certify that I have completed all legal formalities in this regard-

SHRADDHA SHARMA,
D/o Vijay Bhan Pratap Sharma,
Resident of Village Lambhua,
Tehsil Lambhua,
District Sultanpur, Uttar Pradesh.

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० राज मोटर्स, सरला धाम, अपोजिट रेलवे स्टेशन, खरगजीत नगर, मैनपुरी-205001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है -

यह कि दिनांक-06 अगस्त, 2025 को फर्म के साझेदार प्रदीप चौहान पुत्र श्री हरीराज सिंह चौहान निवासी-सरला धाम, अपोजिट रेलवे स्टेशन खरगजीत नगर, मैनपुरी उक्त फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री कुलदीप चौहान तथा श्री संदीप चौहान शेष भागीदार है।

कुलदीप चौहान,
भागीदार,
मे० राज मोटर्स, सरला धाम,
अपोजिट रेलवे स्टेशन,
खरगजीत नगर, मैनपुरी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० मोहिनी फिलिंग स्टेशन, मथुरा रिफाइनरी, जिला मथुरा-281001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है -

यह कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 को श्री जितेन्द्र तरकर पुत्र श्री कारिन्दा सिंह निवासी गनेश मार्केट, गेट नं०-9 बरारी, मथुरा तथा श्रीमती मणि बंसल पत्नी श्री सुमित बंसल निवासी-10 किशनपुरी, मेरठ सिटी मेरठ को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा

तददिनांक को ही श्री राघव अग्रवाल पुत्र श्री राजन अग्रवाल निवासी-1665 बाडपुरा कॉलोनी, सदर रोड, मथुरा तथा श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद खण्डेलवाल निवासी-202/2 गीता एन्क्लेव कॉलोनी, कृष्णा नगर, मथुरा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री जितेन्द्र तरकर तथा श्रीमती मणि बंसल साझेदार हैं।

जितेन्द्र तरकर
साझेदार
मे० मोहिनी फिलिंग स्टेशन,
मथुरा रिफाइनरी, जिला मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० लाली एग्रो इण्डस्ट्रीज, रघुराजपुरी, नीयर बैंक ऑफ इण्डिया, रेलवे रोड, मैनपुरी-205001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है -

यह कि दिनांक 23 जनवरी, 2026 को पूर्व साझेदार श्री शिवांश यादव पुत्र श्री शिवपाल सिंह निवासी रघुराजपुरी बाईपास रोड, मैनपुरी उक्त फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री शिवम यादव तथा श्री शिवपाल सिंह भागीदार है।

शिवम यादव
भागीदार
मे० लाली एग्रो इण्डस्ट्रीज, रघुराजपुरी,
नीयर बैंक ऑफ इण्डिया, रेलवे रोड, मैनपुरी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० कम्बाइन्ड मशीन टूल्स, 16-सी, गीता इन्क्लेव, बैंक कॉलोनी, मथुरा परिवर्तित पता-141 किलोमीटर, बाईपास रोड, कृष्णा नगर, मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

यह कि फर्म का पता दिनांक 01 अप्रैल, 1992 को परिवर्तित कर लिया गया है, व दिनांक 01 अप्रैल,

2016 से श्रीमती गीता गर्ग पत्नी श्री उपेन्द्र कुमार गर्ग निवासी-56 बी गीता एन्क्लेव बैंक कॉलोनी, मथुरा को नये भागीदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है और उक्त दिनांक से ही फर्म के पूर्व द्वितीय भागीदार श्री सुरेशचन्द्र कौशिक पुत्र श्री मोहनलाल कौशिक निवासी-18 सी गीता एन्क्लेव, हाल निवासी-12 बी, गीता एन्क्लेव बैंक कॉलोनी, मथुरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री उपेन्द्र कुमार गर्ग तथा श्रीमती गीता गर्ग भागीदार हो गये हैं।

उपेन्द्र कुमार गर्ग,
भागीदार,

मे० कम्बाइन्ड मशीन टूल्स, 141 किलोमीटर,
बाईपास रोड, कृष्णा नगर, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० श्री राधा कृष्ण शीतग्रह, 21/18 फ्रीगंज, आगरा परिवर्तित पता— खसरा संख्या 3199/598, ग्राम नरायच/नादाऊ तहसील एत्मादपुर जिला आगरा में दिनांक 30 जनवरी, 2026 से साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ—

1—यह कि दिनांक 30 जनवरी, 2026 से श्री अतुल कुमार बंसल पुत्र श्री कैलाशनाथ बंसल, श्रीमती निधि बंसल पत्नी श्री अतुल कुमार बंसल तथा श्री प्रेरक बंसल पुत्र श्री अतुल कुमार बंसल निवासीगण-21/33 फ्रीगंज, आगरा उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री विनोद कुमार शर्मा, श्रीमती लतेश देवी तथा श्री मुन्नालाल शर्मा भागीदार हो गये हैं।

विनोद कुमार शर्मा,
भागीदार,

मे० श्री राधा कृष्ण शीतग्रह,
21/18 फ्रीगंज, आगरा

परिवर्तित पता— खसरा संख्या 3199/598,
ग्राम नरायच/नादाऊ तहसील एत्मादपुर,
जिला आगरा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s JETHA NAND BHATIA, JHANSI, Registered Office at 51 A, Lalitpur Road Jhansi वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है। —

1. Pankaj Bhatia

2. Nand Prakash Bhatia

जिसमें दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को Nand Prakash Bhatia जी का स्वर्गवास हो गया एवं उनके स्थान पर Smt. Pooja Bhatia शामिल हो रही है।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

Pankaj Bhatia,
साझेदार,

M/S JETHA NAND BHATIA,
JHANSI,
51 A, Lalitpur Road Jhansi.

सूचना

सूचित हो कि फर्म मेसर्स एग्रीकल्चर एण्ड फ्लोरिस्टिक फार्मस विलेज एण्ड पो० फैजाबाद तह० बेहट जि० सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक फर्मस् सोसाइटी के दफ्तर क्षेत्र सहारनपुर द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को हुआ था, रजि० के समय फर्म में मुसैयदा पुत्री मौ० इकबाल नि० ग्राम पो० मिर्जापुर पोल तह० बेहट जि० सहारनपुर व श्री इरशाद अली पुत्र रहमत अली ग्राम पो० फैजाबाद तह० बेहट जि० सहारनपुर पार्टनर थे दिनांक 09 जनवरी, 2026 को इरशाद अली फर्म से रिटायर्ड हुए इसी तिथि को सलमान पुत्र इरफान नि० कुंजा ग्रांट, धर्मावाला, देहरादून (उ०खंड) नये पार्टनर के रूप में शामिल हुए अब फर्म में मुसैयदा, सलमान पार्टनर रह गये हैं।

मुसैयदा

पुत्री मौ० इकबाल

नि० ग्राम पो० मिर्जापुर

पोल तह० बेहट जि० सहारनपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 शैलेश इण्टर प्राइजेज, निवासी ग्राम0 दिरेहूँ, पो0 चकिया जिला चन्दौली में दो भागीदार शैलेश कुमार सिंह तथा रामअधार सिंह थे। जिसमें एक भागीदार रामअधार सिंह दिनांक— 26 दिसम्बर, 2025 को फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये हैं तथा मंजू देवी दिनांक -26 दिसम्बर, 2025 से उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुई है। वर्तमान में दो भागीदार शैलेश कुमार सिंह व मंजू देवी हैं। फर्म से अलग हुए भागीदार रामअधार सिंह का उक्त फर्म से कोई लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं हैं।

शैलेश कुमार सिंह
भागीदार

मे0 शैलेश इण्टर प्राइजेज
दिरेहूँ, चकिया जिला चन्दौली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कुनाल गैस सर्विस, पता 5/6, आबिदा काम्पलैक्स, बी. आई. बाजार कैन्ट, बरेली 243001 जिसकी पंजीकरण सं०— BAR—0003322 दिनांक 14 जुलाई 2025 को साझेदार रीमा कैलेन्डर पत्नी श्री फिरोज कैलेन्डर की मृत्यु हो गयी दिनांक 14 जुलाई 2025 को अन्य साझेदार की सहमति से श्री समीर कैलेन्डर को फर्म में नये साझेदार के रूप में जोड़ा गया। फर्म में वर्तमान में अब कुल 2 साझेदार श्री फिरोज कैलेन्डर व श्री समीर कैलेन्डर हैं।

फिरोज कैलेन्डर,
साझेदार,

कुनाल गैस सर्विस,
पता— 5/6, आबिदा काम्पलैक्स,
बी. आई. बाजार कैन्ट, बरेली।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ग्रीन फूड्स पता—हाउस नंबर 22 गायत्री शक्ति पीठ पटेल पुरम चिनहट लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री विनीत कुमार एवं श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, साझेदार थे। दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री विनीत कुमार, एवं श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा इसी तिथि से श्री सुजीत कुमार मिश्रा एवं श्रीमती शिवांगी मिश्रा साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं साथ ही फर्म का पता परिवर्तन होकर नया पता— एच-8 ए लिबर्टी कॉलोनी सर्वोदय नगर इंदिरा नगर लखनऊ 226016 हो गया है वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्री सुजीत कुमार मिश्रा एवं श्रीमती शिवांगी मिश्रा, साझेदार हैं।

सुजीत कुमार मिश्रा,
साझेदार
मेसर्स ग्रीन फूड्स।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री आनंद ट्रांसपोर्ट एंजिनेयर्स—194, मोहल्ला ईदगाह, लखीरापुर जिला लखीमपुर खीरी, 262701 से पंजीकृत है। यह कि 5 साझेदार श्री आनंद कुमार सिंह, श्रीमती आरती त्रिवेदी, श्री बसंत लाल त्रिवेदी, श्रीमती पूर्णिमा एवं श्री रवि प्रकाश शुक्ला साझेदार हैं। दिनांक 24 जनवरी, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री अमन सिंह तोमर, श्री अरविंद कुमार, श्री अखिल कटियार एवं श्री महेंद्र सिंह साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं वर्तमान में 9 साझेदार क्रमशः श्री आनंद कुमार सिंह, श्रीमती आरती त्रिवेदी, श्री बसंत लाल त्रिवेदी, श्रीमती पूर्णिमा, श्री रवि प्रकाश शुक्ला, श्री अमन सिंह तोमर, श्री अरविंद कुमार, श्री अखिल कटियार एवं श्री महेंद्र सिंह साझेदार हैं।

आनंद कुमार सिंह,
साझेदार,
मेसर्स श्री आनंद ट्रांसपोर्ट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म मेसर्स यूनीवर्सल एसोसिएट 564ग/1 गुरुनानक नगर आलमबाग लखनऊ पर स्थित है जिसका पंजीयन सं० LUC0016958 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 है, फर्म उपरोक्त में साझेदारी विलेख दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के अनुसार फर्म में श्रीमती श्रद्धा शुक्ला पत्नी श्री जगेन्द्र शुक्ला, श्री शुभेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला, श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह, श्री मन्दीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री रतनेश पुत्र श्री शेर सिंह तथा श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री मरसा सिंह साझेदार के रूप में थे । साझेदारी विलेख दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के अनुसार फर्म के समस्त साझेदारों की आपसी सहमति से फर्म मेसर्स यूनीवर्सल एसोसिएट को विघटित किया जाता है, जिसके उपरान्त आपस में किसी भी साझेदार का बकाया नहीं है एवं फर्म की किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी व देनदारी बकाया नहीं है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं ।

श्रद्धा शुक्ला,
फर्म मेसर्स यूनीवर्सल एसोसिएट,
564ग/1 गुरुनानक नगर आलमबाग लखनऊ ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/S Kumar Associates 8, 1st Floor, Hari Laxmi Lok, E.K. Road, Crossing, Meerut की साझीदारीनामा में Shri Om Prakash Sharma And Shri Alok Kumar Sharma साझीदार थे। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के अनुसार Alok Kumar Sharma (HUF) Through Its Karta Shri Alok Kumar Sharma and Smt- Geetanjali Sharma W/o Shri Alok Kumar Sharma फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं तथा Shri Om Prakash Sharma अपना हिसाब-किताब ले-देकर

अलग हुए। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार Shri Alok Kumar Sharma (HUF) Through Its Karta Shri Alok Kumar Sharma अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुए हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार Shri Alok Kumar Sharma and Smt-Geetanjali Sharma साझीदार हैं दिनांक 04 अप्रैल, 2022 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार पूर्व साझीदार Shri Om Prakash Sharma का स्वर्गवास दिनांक 20 अगस्त, 2024 को हो चुका है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आलोक कुमार शर्मा,
साझीदार,
M/S Kumar Associates 8, 1st Floor,
Hari Laxmi Lok.
E.K. Road, Crossing, Meerut

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बाबा भूतेश्वर कोल्ड स्टोरेज शिवराजपुर कानपुर नगर का पंजीयन दिनांक 18 जून, 2015 पत्रावली सं० के-11288 पर पंजीकृत है। फर्म में श्री प्रवीण कुमार कटियार श्री राहुल कुमार कटियार, श्री मनोज कुमार कटियार, श्रीमती अनुपम कटियार व श्री धर्मेन्द्र सिंह कटियार पार्टनर थे जिसमें श्री धर्मेन्द्र सिंह कटियार पुत्र श्री मानिक चन्द्र कटियार, जो कि फर्म में पार्टनर थे उनका स्वर्गवास दिनांक 11 जनवरी, 2017 को हो गया था। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 14 फरवरी, 2025 के अनुसार रिक्त हुये पद पर श्रीमती सुनीता कटियार पत्नी स्व० धर्मेन्द्र कटियार को शामिल कर लिया गया है शेष पार्टनर यथावत हैं।

प्रवीण कुमार कटियार,
पार्टनर
मेसर्स बाबा भूतेश्वर कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम बैरी पोस्ट शिवराजपुर कानपुर नगर ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनुकल्प सिंह पुत्र यश सिंह है, जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 3628 2001 6077 में उसका नाम सात्विक सिंह भदौरिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनुकल्प सिंह पुत्र यश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

यश सिंह पुत्र सुधीर प्रताप सिंह
नि०-96/6 न्यू लेबर कालोनी
किदवाई नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अभिषेक कुमार सिंह ABHISHEK KUMAR SINGH पुत्र रणविजय सिंह जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4435 0048 3224 में मेरा नाम अभिषेक कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अभिषेक कुमार सिंह ABHISHEK KUMAR SINGH पुत्र रणविजय सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अभिषेक कुमार सिंह
ABHISHEK KUMAR SINGH
पुत्र रणविजय सिंह
निवासी 570ए/475 कर्नलगंज
पोस्ट कचेहरी, तहसील सदर,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अब्दुर्रहमान पुत्र मो० रेहान है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8389 0317 2701 में मेरा नाम अब्दुल रहमान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अब्दुर्रहमान पुत्र मो० रेहान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अब्दुर्रहमान पुत्र मो० रेहान,
महमूदपुर, जैदपुर (देहात),
जैदपुर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

NOTICE

I, Ramprakash Singh hereby notify that my son, Arnav Prakash, son of Ramprakash Singh, whose name appears in his educational records and other documents has changed his name to Veraj Singh due to health reasons, as per astrological advice, he shall hereafter be known and recognized as Veraj Singh, son of Ramprakash Singh, for all purposes. All necessary formalities regarding this name change have been duly completed by me.

रामप्रकाश सिंह,
मकान नं०-बी-9,
सिद्धार्थ इनक्लेव विस्तार,
तारामण्डल, गोरखपुर (उ०प्र०)।